मु.नं.–61 / 2020 GCMS ID-2020/00116 ता.रजु–26.10.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

जीतेश कुमार मीना (पुस्तकालय अध्यक्ष), ग्राम व पोस्ट झारेडा, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली –
अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–09.02.2021

1. स्थानीय निकाय चुनाव 2020 व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 09.11.2020,11.11.2020, 18.11.2020, 23.11.2020, 25.01.2021, 02.02.2021, 09.02.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर जीतेश कुमार मीना, पुस्तकालयाध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, ब्लॉक टोड़ाभीम के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में 20 फरवरी 20 को की गई जांच की सत्यापित प्रतिलिपि, टिप्पणी एवं पत्रावली की प्रति चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली ने पत्र क्रमांक–सू.अ.अ. / 2020 / 638 दिनांक 09.11.2020 से अवगत करवाया है कि उनके पत्रांक 275 दिनांक 17.06.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित जांच रिपोर्ट की मूल प्रति उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में मूल पत्रावली न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर में गई हुई है। इसलिये सूचना दिया जाना संभव नहीं है।
7. तत्पश्चात् मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा टोड़ाभीम ने पत्र क्रमांक–सीबीईओ / टोड़ा / 2020–21 / 2377–80 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को प्रति प्रेषित की है।
8. इस प्रकार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा टोड़ाभीम द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान कर दी गई है। अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का प्रतिकार पेश नहीं किया गया है और अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा ना तो इस न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया है और ना ही उपस्थित आया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली